रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042020-219000
CG-DL-E-03042020-219000

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 2020/चैत्र 14, 1942**
No. 180]	**NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 2020/CHAITRA 14, 1942**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2020

सं. 30/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 230(अ).—केन्द्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारिख से प्रवृत्त होंगे । ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (3) में, 31 मार्च, 2020 से, निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लेता है, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02** में सूचना को जून, 2020 के 30वें दिन या उससे पूर्व तक फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3** में विवरण जुलाई, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करेगा ।"।

3. उक्त नियमों के, नियम 36 के उप-नियम (4) में, निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु कि उक्त शर्त फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के महीनों के लिए संचयी रूप से लागू होगी और सितंबर, 2020 की कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की विवरणनी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी ।"।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. 03/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 199(अ), तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 16/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2020

No. 30/2020–Central Tax

G.S.R. 230(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 31st March, 2020, in sub-rule (3) of rule 3, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that any registered person who opts to pay tax under section 10 for the financial year 2020-21 shall electronically file an intimation in **FORM GST CMP-02**, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before 30th day of June, 2020 and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 up to the 31st day of July, 2020.".

3. In the said rules, in sub-rule (4) of rule 36, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the said condition shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August, 2020 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period September, 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.".

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 16/2020-Central Tax, dated the 23rd March, 2020 published *vide* number G.S.R. 199(E), dated the 23rd March, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2020

सं. 31/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 231(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं॰13/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्–

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं , लेकिन स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं , देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र॰सं॰ (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	ब्याज की दर (3)	कर अवधि (4)	शर्त (5)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से लागू माना जाएगा ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं॰ 13/2017, दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2020

No. 31/2020–Central Tax

G.S.R. 231(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017–Central Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 661(E), dated the 28th June, 2017, namely:–

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely:–

"Provided that, the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons, mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:--

TABLE

Sl. No. (1)	**Class of registered persons (2)**	**Rate of interest (3)**	**Tax period (4)**	**Condition (5)**
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter	February, 2020, March 2020, April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020, March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 29th day of June, 2020
			April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
			March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 3rd day of July, 2020
			April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 6th day of July, 2020.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification number 13/2017–Central Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 661(E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2020

सं. 32/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 232(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं॰ 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं, और जो नियत तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते है लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंभ फीस को उस कर अवधि के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट, निम्नलिखित कर अवधि है,--

तालिका

क्र॰सं॰ (1)	**पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग** (2)	**कर अवधि** (3)	**शर्त** (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है ।" ।

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जो सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप;खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2020

No. 32/2020–Central Tax

G.S.R. 232(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 76/2018–Central Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018, namely:–

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the tax period as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, but furnishes the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:--.

TABLE

Sl. No. (1)	**Class of registered persons (2)**	**Tax period (3)**	**Condition (4)**
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	February, 2020 and March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 29th day of June, 2020
		April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	February, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
		March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 3rd day of July, 2020
		April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 6th day of July, 2020.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 76/2018-Central Tax, dated 31st December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2020

सं. 33/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 233(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 04/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के महीनों और 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो उक्त मास/तिमाही के लिए देय तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 30 जून, 2020 या उससे पहले उक्त ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में दे दिए है ।"।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक 4/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 4/2020-केंद्रीय कर, तारीख 10 जनवरी, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 26(अ) तारीख 10 जनवरी, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2020

No. 33/2020–Central Tax

G.S.R. 233(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2018–Central Tax, dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018, namely:–

In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the months of March, 2020, April, 2020 and May, 2020, and for the quarter ending 31st March, 2020, for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the said periods in **FORM GSTR-1** by the due date**,** but furnishes the said details in **FORM GSTR-1**, on or before the 30th day of June, 2020.".

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 4/2018–Central Tax, dated the 23rd January, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018 and was last amended by notification No. 4/2020-Central Tax, dated the 10th January, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 26(E), dated the 10th January, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2020

सं. 34/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 234(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं॰ 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 322(अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) दूसरे अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के तहत प्ररूप **जीएसटी सीएमपी-08** में एक ब्यौरा, जिसमें स्व-आकलित कर के भुगतान का विवरण होगा, जुलाई 2020 के 7 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे ।" ;

(ii) तृतीए अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की विवरणी केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-4** में जुलाई 2020 के 15 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे ।" ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं॰ 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, सा.का.नि. 322(अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसे बाद में अधिसूचना सं॰ 74/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, से संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2020

No. 34/2020–Central Tax

G.S.R. 234(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2019-Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019, namely:–

In the said notification,-

(i) in the second paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the quarter ending 31st March, 2020, till the 7th day of July, 2020.";

(ii) in the third paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that the said persons shall furnish the return in **FORM GSTR-4** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2020, till the 15th day of July, 2020.".

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 21/2019-Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019 and was subsequently amended by notification No. 74/2019-Central Tax, dated the 26th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 953(E), dated the 26th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2020

सं. 35/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 235(अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोवीड-19 के प्रसार के मद्देनजर परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती हैं कि –

(i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से जून, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं की गई है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा जून, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी-

(क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानो के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्रवाई को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, जो भी नाम से हो; या

(ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणनी, ब्यान, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है;

लेकिन, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है-

(क) अध्याय IV;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(ग) धारा 39, परंतु, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;

(घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा

(ङ) ऊपर वर्णित अध्याय और धारा के तहत बनाए गए नियम;

(ii) जहां केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के 15वें दिन के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को अप्रैल, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा ।

2. इस अधिसूचना को मार्च, 2020 के 20वें दिन से लागू माना जाएगा।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2020

No. 35/2020–Central Tax

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies, as under,-

(i) where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended up to the 30th day of June, 2020, including for the purposes of--

(a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or

(b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above;

but, such extension of time shall not be applicable for the compliances of the provisions of the said Act, as mentioned below-

(a) Chapter IV;

(b) sub-section (3) of section 10, sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5);

(d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and

(e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above;

(ii) where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of April, 2020.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2020

सं. 36/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 236(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/2020-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 212 (अ), तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक का होने वाले करदाताओं के लिए, मई, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 27 जून, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रुपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य, केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है, मई, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 12 जुलाई, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रुपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य, उत्तराखंड राज्य, हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, सिक्किम राज्य, अरूणाचल प्रदेश राज्य, नागालैंड राज्य, मणिपुर राज्य, मिजोरम राज्य, त्रिपुरा राज्य, मेघालय राज्य, असम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, झारखंड राज्य या ओडिशा राज्य, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है, मई, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 14 जुलाई, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।" ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 29/2020-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 212(अ), तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2020

No. 36/2020–Central Tax

G.S.R. 236(E).—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said Rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2020–Central Tax, dated the 23rd March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 212(E), dated the 23rd March, 2020, namely:–

In the said notification, in the first paragraph, after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:–

"Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crore rupees in the previous financial year, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of May, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 27th June, 2020:

Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of May, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 12th day of July, 2020:

Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of May, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 14th day of July, 2020.".

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification number 29/2020–Central Tax, dated the 23rd March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 212(E), dated the 23rd March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2020.04.03 21:24:41 +05'30'